



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23187-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1485/2026**

सुनील कुमारयाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद वदूद, मोहम्मद समीउज्जमां खान, सद्दाम हुसैन

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 16.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 343/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना- फाफामऊ, जनपद- प्रयागराज उत्पन्न हुआ है, को निरस्त करने की मांग की गई है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध कोई भी आरोपित अपराध प्रकट नहीं होता है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि लूट के चार मूल मामलों में याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और याची विचारण का सामना कर रहा है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध आरोपित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्ट किए गए मामले, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किए गए मामले और माननीय शीर्ष न्यायालय के हालिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लूट के चार मूल मामलों में याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और याची विचारण का सामना कर रहा है, तथा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को संज्ञान में लेते हुए, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
6. अतः, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
7. हालांकि, यदि याची उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और निस्तारण किया जाएगा।
8. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"